प्रशासन गाव के संग अभियान–2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल नं. 890/2021

निर्णय दिनांक :– 11/11/21

उनवानी प्रार्थना पत्र

मानसिंह पुत्र करणा बनाम तहसीलदार दूनी

उपस्थिति :–

प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

: : आदेश : :

मानसिंह पुत्र करणा निवासी धुवाकलाँ ने प्रशासन गांवो के संग अभियान शिविर/न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम धुवाकलाँ जमाबंदी संवत 2077 के खाता संख्या 753 में दर्ज प्रार्थी का नाम मानसिंह पुत्र करणा के स्थान पर मानसिंह पुत्र करणा दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार दूनी से करवाई गई। तहसीलदार दूनी ने पटवार हल्का धुवाकलाँ व भू0अ0नि0 धुवाकलाँ की रिपोर्ट के आधार पर उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की।

शिविर में उपस्थित आमजन से प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार दूनी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया, जिससे प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप –6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:– 4/…/2002/… के तहत तहसीलदार दूनी को वाके ग्राम धुवाकलाँ जमाबंदी संवत खाता संख्या 753 में दर्ज मानसिंह पुत्र करणा के स्थान पर मानसिंह पुत्र करणा दुरूस्त करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक को हमारे इजलास, कैम्प धुवाकलाँ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली